



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 20.02.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 02 अभियुक्त को कारावास सहित अलग-अलग 09 मामलों में 09 अभियुक्तों को कुल 18 हजार 500 रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के 02 अभियुक्त को कारावास सहित अलग-अलग 09 मामलों में 09 अभियुक्तों को कुल 18 हजार 500 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना कोतवाली देहात में पंजीकृत अभियोग -213/17 धारा 08 पॉक्सो के अभियुक्त रामजी निषाद पुत्र रामनाथ निषाद निवासी पचुल्ला थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा को **04 वर्ष के कारावास व 4000 रूपए के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
2. थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत अभियोग-839/14 धारा 354 भादवि के अभियुक्त अजय पुत्र रामसेवक निवासी परशुराम तालाब कालुकुंआ थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को **02 वर्ष के कारावास व 5000 रूपए के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
3. थाना कमासिन में पंजीकृत अभियोग-137/05 धारा 25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त अवधनरेश उर्फ गोली पुत्र शम्भू निवासी मऊ थाना मरका जनपद बांदा को **जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 500 रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
4. थाना बबेरु में पंजीकृत अभियोग-15/02 धारा 25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त चुनवाद केटव पुत्र बुधवा उर्फ बुधवा निवासी मुरवल थाना बबेरु जनपद बांदा को **जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 500 रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
5. थाना कमासिन में पंजीकृत अभियोग-60/99 धारा 25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त किशनपाल पुत्र कामता रैदास को **जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 500 रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
6. थाना कमासिन में पंजीकृत अभियोग-189/09 धारा 352/504/506 भादवि के अभियुक्त श्यामलाल पुत्र शिवमंगल निवासी दलपापुरवा थाना कमासिन जनपद बांदा को **1000 रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
7. थाना कमासिन में पंजीकृत अभियोग(एनसीआर)-143/16 धारा 323/504 भादवि के अभियुक्त रामदत्त पुत्र चन्द्रपाल निवासी बन्थरी थाना कमासिन जनपद बांदा को **1000 रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
8. थाना पैलानी में पंजीकृत अभियोग-34/09 धारा 352/504/506 भादवि के अभियुक्त संजय शर्मा पुत्र रामकृपाल निवासी खट्टिहाकला थाना पैलानी जनपद बांदा को **3000 रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
9. थाना कालिंजर में पंजीकृत अभियोग-51/14 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त धनन्जय प्रताप सिंह परिहार पुत्र राघव प्रताप सिंह परिहार निवासी मढा खमरेही थाना नागौद जनपद सतना (म0प्र0) को **जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 3000 रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।